प्रेस विज्ञप्ति

29.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.79 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं।

ई डी ने बिहार पुलिस द्वारा मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भादस 1860 की धारा 420, के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पटना के दानापुर में "साईं एन्क्लेव" नामक परियोजना का निर्माण मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना था। इसके निदेशक बिमल कुमार ने विभिन्न खरीदारों को उक्त परियोजना में फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा किया और उनसे भारी रकम वसूली। हालांकि, उक्त परियोजना कभी पूरी नहीं हुई और इसके बजाय संभावित खरीदारों की 9.61 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिग्रहण में लगा दी गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि संभावित खरीदार से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने अपने नाम पर आवासीय भूमि अर्जित करने और पटना में अपने आलीशान घर के निर्माण में किया। अपराध की आय का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारी को अंतरित किया गया जिसने बाद में इसका इस्तेमाल अपने नाम पर आवासीय भूमि अर्जित करने के लिए किया।

इससे पहले सितंबर 2024 के महीने में पटना, नोएडा और बैंगलोर में कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित 8 परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान, निदेशक द्वारा आवासीय फ्लैट हासिल करने के लिए भुगतान की गई 72 लाख रुपये की अग्रिम राशि और बरामद 7 लाख रुपये की नकदी को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि पहले इस मामले में, ईडी ने कंपनी के निदेशकों द्वारा अर्जित 7.03 करोड़ रुपये की 03 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क/जब्त की गई कुल अपराध के आगम (पीओसी) 9.61 करोड़ रुपये (लगभग) है अर्थात; अब तक पहचान की गई पूरी पीओसी कुर्क कर ली गई है।

आगे की जांच जारी है।